भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3251

21.08.2025 को उत्तर के लिए

नेशनल हीट एक्शन प्लान का निरूपण

3251. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में देश में दर्ज किए गए तापमान स्तरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विभाग संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 392वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिश के अनुसार, एक समर्पित नेशनल हीट एक्शन प्लान (एचएपी) तैयार करने की मंशा रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में कार्यान्वित हीट एक्शन प्लान से सर्वोत्तम परिपाटियों का उपयोग करने का विचार रखती है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न उप-प्रभागों में हीटवेव वाले दिनों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है :

उप-प्रभाग	2021	2022	2023	2024	2025
असम और मेघालय	0	0	0	1	0
एन एम एम टी	0	0	0	0	0
एसएचडब्ल्यूबी पश्चिम बंगाल	0	1	15	11	1
गंगा तटीय पश्चिम बंगाल	3	8	27	31	4
ओडिशा	3	11	24	37	7
झारखंड	0	27	16	23	4
बिहार	0	13	29	30	4
पूर्वी उत्तर प्रदेश	0	33	11	33	8
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	2	28	5	32	5
उत्तराखंड	0	5	0	10	0
हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली	2	37	5	30	11
पंजाब	0	22	3	27	7
हिमाचल प्रदेश	2	38	0	18	10
जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	0	19	0	11	13
पश्चिमी राजस्थान	6	58	3	29	33

पूर्वी राजस्थान	4	28	0	23	21
पश्चिमी मध्य प्रदेश	2	42	4	24	7
पूर्वी मध्य प्रदेश	0	34	13	26	10
गुजरात प्रदेश	0	13	1	14	7
सौराष्ट्र और कच्छ	12	25	4	16	15
कोंकण और गोवा	4	2	6	4	1
मध्य महाराष्ट्र	0	2	1	8	1
मराठवाड़ा	0	0	0	3	3
विदर्भ	2	18	11	11	8
छत्तीसगढ	0	3	12	13	1
तटीय ए.पी. और यानम	0	0	22	11	0
तेलंगाना	0	0	14	12	1
रायलासीमा	0	0	1	16	0
तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल	2	0	1	13	0
तटीय कर्नाटक	0	0	2	3	0
एन.आई. कर्नाटक	0	0	0	18	0
एस.आई कर्नाटक	0	0	0	10	0
केरल और माहे	0	0	0	6	0

(ख), (ग), और (घ) भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से हीटवेव के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पहलें आरंभ की गई हैं। इस दिशा में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) और राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) कुछ प्रमुख पहलें हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत ने प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आपदा-रोधी अवसंरचना हेतु गठबंधन (सीडीआरआई) जैसी पहलों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने वर्ष 2016 में ''हीटवेव के निवारण और प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार करने संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश" तैयार किए, जिन्हें वर्ष 2019 में संशोधित किया गया।

हीटवेव का प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्यों का है। संबंधित राज्य सरकारों के लिए अपने राहत कोड/राहत संबंधी नियमावली के अनुसार आवश्यक उपाय करना और हीटवेव से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज करने के लिए सरकारी अस्पतालों में अवसंरचना स्थापित करना अपेक्षित है। एनडीएमए द्वारा हीटवेव की दशाओं से प्रभावित 23 राज्यों में राज्य सरकारों के सहयोग से हीट एक्शन प्लान (एचएपी) को संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया गया है।

सरकार ने पूर्व चेतावनी प्रणालियों, जन स्वास्थ्य संबंधी परामर्शों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक अनुकूलनता संबंधी उपाय सुनिश्चित करते हुए सतत रूप से समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। एनडीएमए, वर्ष 2017 से गर्मी से प्रभावित होने वाले सभी राज्यों, भारत सरकार के संबंधित विभागों एवं मंत्रालयों तथा अन्य हितधारकों को शामिल करके वार्षिक रूप से राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करता आ रहा है और हीटवेव प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों से महत्वपूर्ण-जानकारी भी प्राप्त करता है।

******